न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिकी 302/2016
पंजीयन दिनांक 01.09.2016

(1). रतनलाल पिता रामा जाति जाट निवासी कुंवालिया तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

बनाम -अपीलांट

(1). कैलाश पिता मोहनलाल जाति तेली निवासी कुंवालिया तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(2). शंकर पिता सरीराम जाति तेली निवासी कुंवालिया तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(3). जमनी पत्नि सरीराम जाति तेली निवासी कुंवालिया तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(4). बाली पुत्री सरीराम जाति तेली निवासी कुंवालिया तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(5). सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार गंगरार, तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अंतिम निर्णय एवं डिकी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगरार प्रकरण संख्या 14/2014 अंतिम निर्णय एवं डिकी दिनांक 04.06.2015

उपस्थित वक्त बहस-(1). छोगालाल जाट-अधिवक्ता अपीलांटगण
(2). दिनेशचन्द्र दायमा-अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सख्या 1 व 2
(3). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 5

निर्णय **दिनांक 25.07.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 से 4 व प्रतिवादी संख्या 4 अपीलांट के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की मौजा कुंवालिया तहसील गंगरार की खाता संख्या 184 मे दर्ज आराजी संख्या 1459 रकबा 0.23 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2006 रकबा 0.02 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2007 रकबा 0.56 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2008 रकबा 0.31 हैक्टेयर आराजी संख्या 2009 रकबा 0.20 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2010 रकबा 0.21 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 1.53 हैक्टेयर स्थित होकर दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात पूर्व मे मूल पुरूष स्वर्गीय सरीराम से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को विरासत से प्राप्त हुई है जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने उक्त वर्णित सम्पूर्ण कृषि आराजीयात मे से आराजी संख्या 1459 रकबा 0.23 हैक्टेयर पेटा काश्त भूमि को हमेशा के लिए संयुक्त रखने की सहमति कायम की है। शेष आराजी किता 5 रकबा 1.30 हैक्टेयर मय आ0चाह आराजी संख्या 2006 पर स्वर्गीय सरिराम के वारिसान के रूप मे प्रतिवादी संख्या 1 से 3 काश्त करते चले आ रहे है और उन्होने संयुक्त खातेदारी का रकबा 1.30 हैक्टेयर मे अपना निहित सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी रेस्पोडेन्ट संख्या एवं प्रतिवादी संख्या 4 अपीलांट को हस्तांतरित कर दिया है। विकेतागण प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 ने उनका निहित हिस्सा 3/8 वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को एवं नंदा पिता सरीराम ने अपना निहित हिस्सा 5/16 प्रतिवादी संख्या 4 अपीलांट को विक्रय किया है तथा शेष 5/16 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 रेस्पोडेन्ट के हिस्से मे दर्ज रेकार्ड है। वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विकेतागण के कब्जे के अनुरूप मौके पर क्रमशः आराजी संख्या 2007 मे से उत्तर दिशा की तरफ कुए से जुड़वा पूरी कृषि भूमि पर कब्जा सौपा है जिस पर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 निरन्तर बेरोकटोक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। अन्त मे उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात का बंटवाड़ा आ0चाह आराजी संख्या 2006 पर आने जाने हेतु स्थायी रास्ता आबादी क्षेत्र ग्राम कुवालिया से दक्षिणी पूर्वी कौने पर आराजी संख्या 2010, 2008, 2007 की मेड़ पर संयुक्त रूप मे राजस्व रेकॉर्ड मे कायम किया जाकर आराजी संख्या 1459 रकबा 0.23 हेक्टेयर पेटा काश्त तालाब की भूमि को छोड़कर शेष कुल किता 5 रकबा 1.30 हैक्टेयर कृषि आराजीयात का बंटवाड़ा पक्षकारान के कब्जे के अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस किया जाकर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हिस्से की कृषि आराजीयात का अलग खाते मे इन्द्राज किये जाने का निवेदन किया। साथ ही आबादी से कुआं आ0चाह संख्या 2006 तक कायम रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड मे इन्द्राज कर संयुक्त आ0चाह की भूमि के साथ वाले खाते में अंकित किये जाने का निवेदन किया। साथ ही प्रतिवादीगण वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात के किसी भी हिस्से पर कब्जा व

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दखलंदाजी न स्वयं करे ओर न किसी अन्य से करावे, इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए और जवाब हेतु अवसर चाहा । दिनांक 26.02.2015 को प्रतिवादी संख्या 4 अपीलांट की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर जवाबदावा बन्द किया गया व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से सहमति का जवाब प्रस्तुत होना बताते हुए तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं होना बताकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई । दिनांक 04.03.2014 को साक्ष्य वादी के रूप मे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कैलाश, शिवलाल पिता भूरा व भवंरदास पिता मोतीदास जो सभी कुंवालिया के निवासी है, के शपथ-पत्र प्रस्तुत हुए। तथा दिनांक 04.03.2014 को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण को लोक अदालत मे रखे जाने हेतु एवं राजस्व रेकॉर्ड मे अंकित हिस्से एवं मौके पर कब्जे को ध्यान मे रखते हुए विभाजन कराये जाने हेतु उभय पक्षकारान को सहमत होना बताते हुए पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 14.03.2015 को लोक-अदालत मे नियत की गई। दिनांक 14.03.2015 को पत्रावली लोक-अदालत मे रखी जाकर वादी रेस्पोडेन्ट सख्ंया 1 का वादपत्र स्वीकार किया जाकर खाता संख्या 184 मे वर्णित आराजी संख्या 1459 रकबा 0.23 हेक्टेयर को छोड़ते हुए शेष वादग्रस्त कृषि आराजीयात संख्या 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 कुल किता 5 रकबा 1.30 हैक्टेयर भूमि में पक्षकारान के कब्जे वाले भाग को ध्यान मे रखते हुए एवं वादग्रस्त संयुक्त कृषि आराजीयात आ0चाह आराजी संख्या 2006 पर आने-जाने का मौके पर रास्ता दक्षिणी पूर्वी कोने पर आराजी संख्या 2007, 2008, 2010 की पूर्वी मेड़ पर स्थित है, का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर यथा संभव एक चक रखते हुए उभय पक्षकारान के मौके पर कब्जे वाले भू-भाग को ध्यान मे रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु तहसीलदार गंगरार को कमिश्नर नियुक्त किये जाने की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की। तत्पश्चात कमिश्नर के द्वारा फर्द बंटवाड़ा तलब किया जाकर पक्षकारान की आपत्ति व ऐतराज सुने बिना उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.06.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 4 ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलांट प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्यांद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की। न्यायहित मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्यांद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

अधिवक्ता अपीलांट प्रतिवादी संख्या 4 ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए और जवाब हेतु अवसर चाहा । दिनांक 26.02.2015 को प्रतिवादी संख्या 4 अपीलांट की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर जवाबदावा बन्द किया गया व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से सहमति का जवाब प्रस्तुत होना मानते हुए तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं होना बताकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नियत की गई । दिनांक 04.03.2015 को साक्ष्य वादी के रूप मे वादी कैलाश, शिवलाल पिता भूरा व भवंरदास पिता मोतीदास जो सभी कुंवालिया के निवासी है के शपथ-पत्र प्रस्तुत हुए। तथा दिनांक 04.03.2015 को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण को लोक अदालत मे रखे जाने हेतु एवं राजस्व रेकॉर्ड मे अंकित हिस्से एवं मौके पर कब्जे को ध्यान मे रखते हुए विभाजन कराये जाने हेतु उभय पक्षकारान को सहमत होना बताते हुए पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 14.03.2015 को लोक-अदालत मे नियत की गई। दिनांक 14.03.2015 को पत्रावली लोक-अदालत मे रखी जाकर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वादपत्र स्वीकार किया जाकर खाता संख्या 184 मे वर्णित कृषि आराजी संख्या 1459 रकबा 0.23 हेक्टेयर को छोड़ते हुए शेष वादग्रस्त कृषि आराजी संख्या 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 कुल किता 5 रकबा 1.30 हैक्टेयर भूमि में पक्षकारान के कब्जे वाले भाग को ध्यान मे रखते हुए एवं वादगस्त संयुक्त आराजीयात आ0चाह आराजी संख्या 2006 पर आने-जाने का मौके पर रास्ता दक्षिणी पूर्वी कोने पर आराजी संख्या 2007, 2008, 2010 की पूर्वी मेड़ पर स्थित है जिसका बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर यथा संभव एक चक रखते हुए दोनो पक्षो के मौके

राजस्व अपील प्राधिकारी
पीपाड़शहर (राज.)

को वाले भू-भाग को ध्यान मे रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु तहसीलदार गंगरार को कमिश्नर नियुक्त किये जाने की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार गंगरार को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने का आदेश पारित किया, जिसकी पालना मे तहसीलदार गंगरार कमिश्नर द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित नहीं होकर अपने अधीनस्थ कर्मचारी पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा फर्द बंटवाड़ा तैयार करवाया गया है। फर्द बंटवाड़ा तैयार किये जाने के संबंध मे अपीलांट प्रतिवादी संख्या 4 को कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया। फर्द बंटवाड़ा अपीलांट की अनुपस्थिति मे तैयार करवाया गया है। इस प्रकार उक्त फर्द बंटवाड़ा सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार नहीं किया जाने व अपीलांट प्रतिवादी संख्या 4 की अनुपस्थिति मे तैयार किये जाने से अवैधानिक है। फिर भी तहसीलदार गंगरार कमिश्नर द्वारा उक्त अवैधानिक फर्द बंटवाड़े को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया तथा उक्त अवैधानिक फर्द बंटवाडे पर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 4 की आपत्ति व ऐतराज लिए बिना ही बंटवाड़ा नियम 18 से 20 की पालना नहीं की जाकर उक्त फर्द बंटवाड़े से वादीगण को संतुष्ट होना बताकर लोक अदालत के तहत पक्षकारान के मध्य बिना किसी लिखित राजीनामे के अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जो अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांट प्रतिवादी संख्या 4 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 04.06.2015 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए और जवाब हेतु अवसर चाहा । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु अपीलांट प्रतिवादी संख्या 4 को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद अपीलांट प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा पत्रावली मे जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किये जाने से पत्रावली मे जवाबदावा बंद किया गया। साथ ही अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान की सहमति से पक्षकारान के कब्जे वाले भाग व रास्ते को दृष्टिगत रखते हुए राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है। मौके पर कब्जे को ध्यान मे रखते हुए विभाजन किये जाने के सबंध मे पक्षकारान ने दिनांक 04.03.2014 को अपनी सहमति व्यक्त की है तथा उसी को ध्यान मे रखते हुए मौके पर कब्जे व राजस्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

कॉर्ड के अनुसार ही विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है तथा प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे तहसीलदार गंगरार से प्राप्त मौका विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर विभाजन प्रस्ताव के आधार पर कब्जे व रास्ते को ध्यान मे रखते हुए राजस्व रेकॉर्ड के आधार पर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत होने से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए और जवाब हेतु अवसर चाहा । दिनांक 26.02.2015 को प्रतिवादी संख्या 4 अपीलांट की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर जवाबदावा बन्द किया गया व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से सहमति का जवाब प्रस्तुत होना बताते हुए तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं होना बताकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई । दिनांक 04.03.2014 को साक्ष्य वादी के रूप मे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कैलाश, शिवलाल पिता भूरा व भवंरदास पिता मोतीदास जो सभी कुंवालिया के निवासी है, के शपथ-पत्र प्रस्तुत हुए। तथा दिनांक 04.03.2014 को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण को लोक अदालत मे रखे जाने हेतु एवं राजस्व रेकॉर्ड मे अंकित हिस्से एवं मौके पर कब्जे को ध्यान मे रखते हुए विभाजन कराये जाने हेतु उभय पक्षकारान को सहमत होना बताते हुए पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 14.03.2015 को लोक-अदालत मे नियत की गई। दिनांक 14.03.2015 को पत्रावली लोक-अदालत मे रखी जाकर वादी रेस्पोडेन्ट सख्या 1 का वादपत्र स्वीकार किया जाकर खाता संख्या 184 मे वर्णित आराजी संख्या 1459 रकबा 0.23 हेक्टेयर को छोड़ते हुए शेष वादग्रस्त कृषि आराजीयात संख्या 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 कुल किता 5 रकबा 1.30 हैक्टेयर भूमि में पक्षकारान के कब्जे वाले भाग को ध्यान मे रखते हुए एवं वादग्रस्त संयुक्त कृषि आराजीयात आ0चाह आराजी संख्या 2006 पर आने-जाने का मौके पर रास्ता दक्षिणी पूर्वी कोने पर आराजी संख्या 2007, 2008, 2010 की पूर्वी मेड़ पर स्थित है, का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर यथा संभव एक चक रखते हुए उभय पक्षकारान के मौके पर कब्जे वाले भू-भाग को ध्यान मे रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु तहसीलदार गंगरार को कमिश्नर नियुक्त किये जाने की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की, जिसकी पालना मे तहसीलदार

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

कलार ने स्वयं मौके पर उपस्थित नही होकर अपने अधीनस्थ कर्मचारी पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक से फर्द बंटवाड़ा तैयार करवाया गया जो सक्षम अधिकारी के द्वारा तैयार नही किये जाने से अवैधानिक है। साथ ही फर्द बंटवाड़ा तैयार किये जाने के संबंध मे अपीलांट प्रतिवादी संख्या 4 को कोई सूचना-पत्र जारी नहीं किया गया जिससे अपीलांट प्रतिवादी संख्या 4 को उक्त फर्द बंटवाड़ा तैयार किये जाने की कोई सूचना नही थी। उक्त फर्द बंटवाड़े पर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 4 के हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रकार उक्त फर्द बंटवाड़ा सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार नहीं किये जाने एवं अपीलांट प्रतिवादी संख्या 4 की अनुपस्थिति मे तैयार किये जाने से अवैधानिक है। फिर भी तहसीलदार कमिश्नर द्वारा उक्त अवैधानिक फर्द बंटवाड़ा अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त फर्द बंटवाडे पर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 4 की आपत्ति प्रस्तुत किये जाने का अवसर प्रदान किये बिना ही पत्रावली लोक अदालत कैम्प मंडपिया मे रखी जाकर उक्त फर्द बंटवाडे से वादीगण को सहमत होना बताकर पक्षकारान के मध्य बिना लिखित राजीनामे के उक्त अवैधानिक फर्द बंटवाड़े पर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 4 की आपत्ति प्रस्तुत किये जाने का अवसर प्रदान किये बिना ही वादपत्र स्वीकार किया जाकर उक्त फर्द बंटवाडे के अनुसार उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिकी पारित की है जो न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट प्रतिवादी संख्या 4 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगरार प्रकरण संख्या 14/2014 अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 04.06.2015 निरस्त किये जाते है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे तहसीलदार गंगरार द्वारा फर्द बंटवाड़ा तैयार करवाया जाकर, बंटवाड़ा नियम 18 से 20 की पालना की जाकर, पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, गुणावगुण पर तनकीवार, अजसरे नवनिर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 16.08.2022 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायायल की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)